



Knowledgeable Research

ISSN 2583-6633

Vol.02, No.08, March, 2024

<http://knowledgeableresearch.com/>

बुल्डोज़र और अपराध

(एक समाजशास्त्री अध्ययन जनपद फर्रुखाबाद, उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)

डा0 संजीव गंगवार, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद।

Email: sanjeevgangwar827@gmail.com

शोध सार : अपराधियों के नियन्त्रण में बुल्डोज़र कार्यवाही के प्रभाव को जानने हेतु किशोर न्याय बोर्ड फर्रुखाबाद में सन् 2010 से 2024 तक धारा-302 (हत्या) आई0पी0सी0 में दर्ज हुये मामलों को आधार बना प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण कर अपराध के प्रतिशत के आधार पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधत्वमान शोध पत्र का विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया गया है। शोध पत्र का उद्देश्य अपराधियों के नियन्त्रण में उत्तर प्रदेश सरकार की बुल्डोज़र कार्यवाही के प्रभाव को जानने का रहा है।

बीज शब्द: बुल्डोज़र, किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद, अपराध

अध्ययन की प्रेरणा- शोधार्थी को अध्ययन की प्रेरणा कोट-कहचरी में पिछले 08 सालों से बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड में न्याय कार्य के दौरान अपराधियों की कम होती भीड़ व जो अपराधी वर्तमान में आ रहे हैं वह अधिकांश मानसिक विकृति के प्रतीत होते हैं, जिससे शोधार्थी को लगा क्यों न एक बार अपराध के आंकड़ों को ग्राफ पर रखकर देखा जाये। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर निर्देशन में किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद के आंकड़ों को आधार बना एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

अध्ययन की समस्या:- वर्तमान भारतीय समाज में बुल्डोज़र को लेकर चर्चा एक आम बात हो गयी है, जिसकी शुरुआत उ0प्र0 सरकार से शुरू हुई जो अपराध नियन्त्रण में रामबाण साबित हुआ। उ0प्र0 की देखा-देखी में भारत के अन्य राज्यों ने भी अपराध को नियन्त्रण करने के उद्देश्य से बुल्डोज़र प्लान को अपनाया शुरू कर दिया। इस प्लान के जन्मदाता उ0प्र0 के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज को माना जाता है, जिन्हें बुल्डोज़र बाबा के नाम से जाना जाने लगा है। अपराध मुक्त समाज संकल्पना को साकार करने में बुल्डोज़र प्लान अपराध नियन्त्रण से आगे बढ़कर उन्मुलन के रूप में कार्य कर रहा है। यह कहना अतसयुक्त नहीं होगा कि अपराधियों को सबक सिखाने का नया बुल्डोज़र तरीका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी

Author Name: डा0 संजीव गंगवार

Received Date: 05.03.2024


Publication Date: 24.03.2024

सराहा जा रहा है, जिसे संयोग कहें या कुछ और किन्तु अभी हाल में इजराइल द्वारा हमारा आतंकियों के खातमें हेतु कार्यवाही में इजराइल सेना द्वारा युद्ध में पहली बार बुल्डोजर कार्यवाही को अन्जाम दिया जाना कहीं न कहीं योगी जी के बुल्डोजर प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है।

उ0प्र0 सरकार के इस प्लान को लेकर समय-समय पर आलोचनार्ये व समालोचनार्ये होती रहती हैं। कोई इस मानवाधिकार की उपेक्षा कहता है तो कोई असंवैधानिक कार्यवाही, किन्तु कोई कुछ भी कहे सनातन का दर्शन तो यही कहता है कि आतताई का येनकेन प्राकेण अन्त होना चाहिए सायद योगी होने के नाते मा0 मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वह हिन्दु दर्शन की प्रेरणा ही है, जिसके परिणामस्वरूप उ0प्र0 का समाज अपराध मुक्त सामाज की ओर बड़ा, जिसका अहसास आम जनमानस में देखने को मिल रहा है।

धारा-302 आई0पी0सी के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद में दर्ज मामले

सन्	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
प्र0	16	10	14	16	16	08	08	05	12	04	01	05	03	01	01




अपराधियों के नियन्त्रण में विल्डोजर
विहीन कार्यकाल 2010 से 2015

अपराधियों के नियन्त्रण में विल्डोजर के प्रयोग का
कार्यकाल 2016 से 2024


विभिन्न वर्षों में धारा-302 आईपीसी के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद में दर्ज मामले

वर्ष	2010 से 2015 तक	2016 से 2020 तक	2021 से 2024
कुल प्रकरण	80	30	10



अन्तर्राज्यीये गिरोह पर नियन्त्रण

वर्ष	2015	2021	2022	2023	2024
कुल प्रकरण	08	00	01	00	00



पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा अपराधियों पर बुल्डोज़र की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों के प्रभाव को जानने हेतु अध्ययनकर्ता के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद के प्रकरणों को आधार मानकर जब अध्ययन किया गया, तो अध्ययन को देखकर बड़े चौकाने वाले और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जैसा कि अध्ययनकर्ता के द्वारा प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सन 2010 में धारा-302 आईपीसी के अन्तर्गत 16 तथा सन् 2011 में 10, 2012 में 14, 2013 में 16, 2014 में 16, 2015 में 08 प्रकरण दर्ज हुये थे वहीं 2016 में सत्ता प्रवर्तन होने के उपरान्त 08 मामले 2017 में 5, 2018 में 12, 2019 में 04, 2020 में 01, 2021 में 05, 2022 में 03 तथा 2023 में 01 व मार्च 2024 तक 01 प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड फर्रुखाबाद में हत्याओं के मामले में धारा-302 आईपीसी में दर्ज हुये।

प्राप्त आंकड़े यह भी प्रदर्शित करते हैं कि 2010 से 2015 तक किशोर न्याय बोर्ड फर्रुखाबाद में 80 मामले धारा-302 आईपीसी के अन्तर्गत दर्ज किये गये, जबकि 2016 से 2020 तक 30 प्रकरण तथा 2021 से मार्च 2024 तक 10 प्रकरण धारा-302 आईपीसी में दर्ज हुये। ग्राफ को आंकड़ों को प्रदर्शित करने पर स्पष्ट होता है कि 2010 से 2024 तक अपराधियों की हत्या करने की मनोवृत्ति में 94.75 प्रतिशत नियन्त्रण हुआ है।

बुल्डोज़र का प्रभाव हत्याओं के साथ-साथ अंतरराज्यीय गिरोह की सक्रियता पर भी पड़ा है। अध्ययन के दौरान ऐसे आकड़ों पर भी ध्यान दिया गया जो कि अन्तरराज्यों गिरोह एक पेशेवर के रूप में प्रदेश के अन्दर बैंक लूट के साथ साथ बड़ी-बड़ी चोरी के अंजाम देते थे। जनपद फर्रुखाबाद में भी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से आकर बैंक लूट व विवाह समारोह में बड़ी-बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे थे। किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद में 2015 से पूर्व ऐसे गिरोह के 08 मामले दर्ज थे, जबकि इसके उपरान्त 2022 में सिर्फ एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिस प्रकरण को तीन माह के अन्दर बोर्ड के द्वारा दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गयी इसके उपरान्त बोर्ड में लगभग 20 मामले चोरी के दर्ज हुये जो कि जनपद स्तर व सामान्य चोरियों से सम्बन्धित थे। ऐसे में अन्तरराज्यों गिरोह पर लगाम लगाने में कहीं न कहीं बुल्डोज़र का भय ही है कि पड़ोसी राज्यों से उत्तर प्रदेश में ऐसे गिरोह घुसने से डरने लगे हैं। जो कि अपराध नियन्त्रण में शुभसंकेत है।

इस अध्ययन में आंकड़ों से प्राप्त विवरण से सिद्ध होता है कि अपराधी टिट फार टैट की भाषा को ही समझते हैं। इसी का परिणाम है कि 2010 से 2015 का कार्यकाल जिसमें अपराधियों के नियन्त्रण को लेकर तत्समय की सरकार के द्वारा कोई कठोर कार्यवाही न करने का परिणाम था कि 2010 से 2015 में हत्याओं के आंकड़े इतने उच्च स्तर पर थे। किन्तु 2016 में सत्ता बदलने पर अपराध नियन्त्रण की स्थिति में पहुँचा किन्तु 2021 के बाद पुनः वही सरकार सत्ता में आयी, जिसने अपराधियों के नियन्त्रण में बुल्डोजर प्लान के प्रचार-प्रसार के साथ प्रयोगकर उत्तर प्रदेश के अपराधियों की हेकड़ी निकालना शुरू की, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों के सिद्धान्त ऐनकेन प्राकेण, अमीर वन, परिवार को सुख सम्पन्न कर जेल के शरणलें न्याय को अंगूठा ही नहीं दिखाते थे बल्कि इस फार्मूले को अपनाकर उसी जेल के जेल विजिटर व जेल मंत्री जैसे पदों को हासिल कर लेते थे। पर वर्तमान सरकार के द्वारा उन्ही के फार्मूले को उन पर लागू करते हुये कि ऐनकेन प्राकेण जैसे भी हो आतताई व अपराधियों का अन्त कर उनके साम्राज्य को विल्डोर प्लान के द्वारा ध्वस्त किया जाये तब कहीं उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित महौल बन लोगों के मन से भय निकल सका। जिसका एहसास आम जनमानस में देखा जा सकता है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का विल्डोर प्लान एक सराहनीय कदम है, जिसने उत्तर प्रदेश में राम राज्य की संकल्पना को साकार रूप दे अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज देने में अहम भूमिका निभायी, जिसकी उपयोगिता को देखते हुये यह कहना असत्य नहीं होगा कि विल्डोर ने उत्तर प्रदेश में अपराध पर 94.75 प्रतिशत नियन्त्रण पा लिया है। ऐसे में बुल्डोजर प्लान को आगे बढ़ाते हुये जनपद में प्रत्येक कोतवाली व थाने स्तर पर एक-एक बुल्डोजर को खड़ा करना अपराध के उन्मूलन में कारगर प्लान हो सकता है।

शोध पत्र की उपयोगिता - प्रस्तुत शोध पत्र की निम्न उपयोगिता रहेगी।

1. अपराधियों पर शक्त कार्यवाही से बुल्डोजर प्लान से अपराध जगत की जो मीनार ध्वस्त हुई है तथा उनकी अपराध की मनोवृत्ति में जो गिरावट देखी गयी, इससे पुलिस विभाग व न्याय विभाग तथा सरकार का मनोबल बढ़ेगा।
2. समाज में अपराधियों व माफियाओं की खोखली व झूठी हेकड़ी जिसके बल पर वह दशकों से समाज में अपने साम्राज्य को कायम रखने वालों को जो एक बुल्डोजर प्लान के आगे घुटने टेक गये ऐसे अराजक तत्वों का समाज में सम्मान व प्रभाव खत्म हो जायेगा, जो कि उन्होंने डर के बल पर बना रखा था।
3. अपराध जगत की संस्कृति के स्थान पर इन्सानियत की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
4. युवा वर्ग अपराधियों व माफियाओं के दशा देख उनकी झापा व चकाचैद की संस्कृति से हटकर इन्सानियत की ओर आगे बढ़ेगा।

5. भय मुक्त समाज का निर्माण होने से लोगों के कार्य के घण्टों में इजाफा होगा तथा रात को भी कार्य समय में सम्मिलित करते हुये 14 से 15 घण्टे काम करने हेतु विदेशों की तर्ज पर काम पर आ जा सकेगंे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी क्योंकि किसी समाज की आर्थिक स्थिति में सुदृणता में लोगों के कामों के घण्टे सबसे ज्यादा मायने रखते है।

सुझाव व समाधान:- अपराध नियन्त्रण में बुल्डोजर कार्यवाही के प्रभाव को देखते हुये कुछ सुझाव इसे और बेहतर और स्थायी बना सकते हैं, जिससे एक लम्बे समय तक राम राज्य की संकल्पना को साकार रखा जा सकेगा।

1. बुल्डोजर प्लान के अन्तर्गत प्रत्येक थाने स्तर पर बुल्डोजर को थाने के बाहर खड़ा किया जाये।
2. महिला सुरक्षा हेतु कार्यकारी महिला कार्मिकों को गन लाइसेन्स या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का लाइसेन्स देना महिला सुरक्षा के लिये सराहनीय हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की कार्य स्थलों पर सुरक्षा की समस्यायें अभी जस की तस हैं ये इसलिए कहा जा रहा है कि निशस्त्र महिलाओं की अपेक्षा शस्त्रधारी लड़कियों व महिलाओं के साथ घटनायें कम घटित होती हैं इससे छेड़खानी व छींटाकसी के साथ रेप जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, जैसे- सिक्ख व गोरखा वर्गों की महिलाओं की अपेक्षा भारत में अन्य वर्गों की महिलाओं के साथ घटनाये ज्यादा देखी जाती है।
3. अपराधियों व माफियाओं की सम्पत्तियों को सरकार के द्वारा सरकारी घोषित किया जाना चाहिये, जैसा की सायद वर्तमान सरकार गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कानूनी जामा को लागू करने जा भी रही है, जो कि एक सराहनीय कदम है।
4. शिक्षा के पाठ्यक्रमों में युवाओं को नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत धदीच, हरिशचन्द्र, सिद्धार्थ, भामासाह, राम के आदर्शों की कहानियों को सम्मिलित किया जाये। उक्त सुझाव मेरे व्यक्तगत अनुभव हैं जैसा की मानना है कि ये सुझाव समाज के लिये अपराध नियन्त्रण में कारगर साबित हो सकते हैं, किन्तु फिर भी बुल्डोजर प्लान को सरकार के द्वारा कम से कम अभी 10 वर्ष तक सक्रिय रखा जाये तभी अपराध के गिरते ग्राफ को स्थायी रूप दिया जा सकेगा।



संदर्भ :किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद।

Author Name: डा0 संजीव गंगवार

Received Date: 05.03.2024

Publication Date: 24.03.2024